अनुसूची–1

कार्यालय, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

ई–निविदा सूचना

(केवल ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **(https://etender.up.nic.in)** के माध्यम से)

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के छात्रावास में प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं जलपान आदि की व्यवस्था के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विवरण
1	निविदा की अनुमानित लागत	रू0 30-35.00 लाख
2	अर्नेस्ट मनी	रू0 25,000/-
3	निविदा प्रपत्र की धनराशि	रू0 1000/- (रू0 एक हजार मात्र- नॉन रिफन्डेबल) डी0डी0 के रूप में जो कि महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय हो।
4	निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 26.08.2019
5	ई-निविदा पोर्टल पर ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 26.08.2019 पूर्वान्ह 11:30 से
6	ई-निविदा पोर्टल द्वारा ई-निविदा आन लाइन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 19.09.2019 अपरान्ह 05:00 बजे तक
7	ई-निविदा अपलोड/जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 26.08.2019 पूर्वान्ह 11:30 से
8	ई-निविदा प्राप्त करने/डाउनलोड /क्रय करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 19.09.2019 अपरान्ह 05:00 बजे तक
9	ई-निविदा पोर्टल द्वारा ई-निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की तिथि, समय व स्थान	तकनीकी बिड दिनांक 20.09.2019 समय अपरान्ह 12:30 बजे वित्तीय बिड दिनांक 20.09.2019 समय अपरान्ह 03:00 बजे स्थान कार्यालय महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
10	विड वैधता की अवधि	30 दिन
11	कार्य की अवधि	365

निविदा प्रपत्र ई–निविदा की वेबसाइट https://etender.up.nic.in एवं https://www.sirdup.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

महानिदेशक

ई-निविदा शर्तें

1. निविदा प्रक्रिया को ई–निविदा प्रोर्टल पर तकनीकी बिड में उल्लिखित प्रपत्रो ंको स्कैन कर अपलोड किया जाना होगा तथा वित्तीय बिड में अपनी दरों को दिये गये प्रारूप पर नियमानुसार अपलोड करना होगा।

2. **निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को ई–पोर्टल पर अपलोड करना होगा।**

क– फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति।

ख– आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति।

ग– जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

घ– श्रम विभाग में पंजीयन की छायाप्रति।

ड़– भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा प्रदत्त खाद्य लाइसेन्स की प्रति।

च– फर्म का विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर कुल रू0 1.00 करोड़ होना आवश्यक है। (Audited financial Statments) अपलोड करें–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (रू0 में)
1	2016–17	
2	2017–18	
3	2018–19	
	कुल योग	

छ– निविदादाता को ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शासकीय अर्द्धशासकीय या गैर सरकारी प्रतिष्ठान में समान कार्य (प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं जलपान सेवायें प्रदान करना) का कम से कम 03 वर्ष का सफल कार्य संचालन का अनुभव होना आवश्यक है, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्य अनुभव वाली फर्म को वरीयता दी जायेगी। अनुभव प्रमाण पत्र, प्राप्त कार्यादेश तथा संतोषजनक कार्य सम्बंधी प्रमाण पत्र की प्रति निम्नानुसार विवरण अपलोड करें।

अवधि		संस्था का नाम/पता जिनको उक्त सेवा प्रदान की गयी	सम्बंधित संस्था में टर्न ओवर (रूपये में)	सेवायोजित कार्मिकों की संख्या	
कब से	कब तक			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित

ज– ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 प्रमाण पत्र।

झ– विगत 03 वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) में प्रतिवर्ष टैक्स जमा करने के विवरण की सत्यापित प्रति।

ट– निविदादाता द्वारा अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट ''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में लखनऊ में देय हो, तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाय। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ठ– निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1,000/– जो कि नॉन रिफन्डेबल होगा का बैंक ड्राफ्ट ''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में लखनऊ में देय हो, तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाय।

उपरोक्त बिन्दु संख्या–02 पर उल्लिखित सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा तकनीकी अभिलेख प्रपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।

3. निविदा अस्वीकार होने की दशा में जमा की गयी अर्नेस्टमनी डिपाजिट (EMD) की धनराशि का ड्राफ्ट एक माह के अन्दर सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
4. **अर्नेस्ट मनी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा खोले जाने वाले दिनांक को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय में मूल रूप में अनिवार्यतः जमा कराना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।**
5. केवल तकनीकी प्रपत्र पूर्ण करने वाली निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
6. कुल अनुमानित कार्य की राशि कम अथवा ज्यादा हो सकती है।
7. निविदा की जो दरें दी जायें वह दिये गये Specifications के अनुसार समस्त करों को सम्मिलित करते हुए दी जायें और उनकों अंकों व शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा उसमें किसी प्रकार का कटिंग/ओवरराइटिंग/ओवर टाइपिंग/इरेजिंग न हों। उक्त में किसी प्रकार का अन्तर होने पर शब्दों में उल्लिखित दरों को सही माना जायेगा।
8. वित्तीय विड में दरें मीनू (अ) तथा (ब) के अनुसार दी जायेगीं। मीनू (अ) नियमित रूप से प्रत्येक सत्र में प्रतिभागियों को उपलब्ध कराना है। मीनू (ब) आवश्यकता के अनुसार Occasionaly प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जाना है। **निविदा में न्यूनतम दरों की गणना कर तुलनात्मक चार्ट मीनू (अ) के आधार पर ही तैयार किया जायेगा।**

9. सफल निविदादाता के द्वारा रू0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि Security Deposits ''**महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ**'' के पक्ष में लखनऊ में देय हो, जमा करानी होगी। उक्त Security Deposits को संतोषजनक अनुबन्ध की समाप्ति के उपरान्त ही निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा। उक्त Security Deposits की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
10. निविदादाता की वित्तीय क्षमता एवं साख अच्छी होनी चाहिये तथा उसे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो और न ही किसी अपराध हेतु दंडित किया गया हो।
11. निविदादाता श्रम कानूनों की सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित करेगा तथा उक्त सेवा के संचालन हेतु सभी आवश्यक लाइसेंस/अनुमोदन/अनुमति आदि प्राप्त करेगा।
12. निविदादाता किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/संस्था का Sub Cantractor नहीं होना चाहिये और न ही अनुबन्ध होने के पश्चात् उक्त कार्य को किसी अन्य को Sub-let किया जायेगा।
13. पूर्व में तथा निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता किसी भी कार्टेल (Cartel) का सदस्य/पार्टी नही होना चाहिये।
14. महानिदेशक संस्थान अधिकारियों की एक टीम गठित कर निविदा में प्राप्त दरों का अध्ययन खुले बाजार से करायेगें। यदि किसी निविदादाता की दर बाजार दर से बहुत कम हुई, जिस दर पर मीनू के अनुसार भोजन की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से सम्भव नही लगेगी तो न्यूनतम दर को अस्वीकृत कर उससे उच्च दर की निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार महानिदेशक संस्थान को होगा।
15. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है, कि निविदा आवेदन से पूर्व परिसर/मैस में सम्बन्धित सुविधाओं/व्यवस्थाओं आदि को देख लें।
16. यह कार्य अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दरों में कोई बढ़त्तरी अनुमन्य नही होगी।
17. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक होने पर, फर्म के अनुरोध पर महानिदेशक

संस्थान द्वारा पूर्व की सेवा शर्तों पर निविदा अवधि को पुनः 01 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

18. असंतोषजनक कार्य की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की नोटिस पर उक्त अनुबन्ध किसी भी समय एक वर्ष की अवधि के पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है।
19. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र भरने के उपरान्त यह मान लिया जायेगा कि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों को भली–भॉति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त ई–निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तें निविदादाता द्वारा स्वीकार की जाती है।
20. यदि सफल निविदादाता अनुबन्ध की अवधि में, अनुबन्ध के Terms & Condition/लागू शर्तो का पालन करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी **Seceuritiy Deposits** की धनराशि को आंशिक या पूर्ण रूप से, जैसा कि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, द्वारा निर्णय लिया जाये, जब्त किया जा सकता है।
21. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के पास निविदा सम्बन्धी तिथियों, किसी या सभी निविदा आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या निरस्त करने या किसी Higher bid को स्वीकार करने आदि का बिना किसी कारण बताये, अधिकार सुरक्षित रहेगा।
22. उक्त निविदा सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उक्त विवाद लखनऊ में उत्पन्न हुआ है और सक्षम न्यायालय लखनऊ के न्याय क्षेत्राधिकार में होगा।
23. कैटरिंग कार्य तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर फर्म को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा अथवा बिल में से आवश्यक कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ का निर्णय सफल निविदादाता को मान्य होगा।
24. अनुबंधित फर्म को अनुबंध के आधार पर सेवायें उपलब्ध कराये जाने के आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर केटरिंग किया जाना सुनिश्चित करना होगा। बिलम्ब की स्थिति में रू0 5000/– प्रतिदिन के आधार पर संस्थान द्वारा Security Deposits से कटौती कर ली जायेगी। सेवायें संस्था के परिसर में उपलब्ध कराये जाने का दायित्व फर्म का होगा। मार्ग व्यय तथा ढुलाई आदि का व्यय फर्म को वहन करना होगा।
25. भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार स्रोत पर कर तथा जी0एस0टी0 आदि की कटौती कर ली जायेगी।

अनुसूची–3

सेवा की शर्तें

1. संस्थान द्वारा चयनित केटरर को परिसर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त परिसर पर केटरर के पक्ष में किरायेदारी हस्तान्तरण या अन्य किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। संस्था द्वारा चयनित केटरर को भवन, फर्नीचर, बिजली, तथा पानी उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति केटरर द्वारा स्वयं की जायेंगी।
2. कैटरिंग से सम्बद्ध सम्स्त सांविधिक प्रावधानों/अधिनियमों/नियमों का अनुपालन करने में केटरर द्वारा कोई चूक होने पर वह संस्थान को इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। आपूर्ति किये गये भोज्य पदार्थों, पेय पदार्यो तथा अल्पाहार आदि की गुणवत्ता/मानक महानिदेशक, संस्थान, लखनऊ (एतद्पश्चात् महानिदेशक के नाम से संदर्भित) की संतुष्टि के अनुरूप होंगें।
3. महानिदेशक या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई भी अधिकारी/प्रतिनिधि किसी भी समय परिसर (डाइनिंग हाल, किचन आदि) का निरीक्षण कर सकते हैं तथा उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाये गये भोज्य पदार्थ हटाने का निर्देश दे सकते हैं। कैटरर को अविलम्ब इन निर्देशों का पालन करना होगा।
4. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, कार्यरत कार्मिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता परिसर के रख–रखाव तथा साफ–सफाई एवं स्वच्छता के सम्बंध में कैटरर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्गत निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा।
5. कैटरर उक्त कार्य का या तो स्वयं पर्यवेक्षण करेगा या उपरोक्त कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपने खर्च पर एक दक्ष एवं अनुभवी व्यक्ति नियुक्त करेगा। कैटरर उपरोक्त कार्य के लिए न तो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा न ही पहले से नियुक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति जारी रखेंगे जिसकी नियुक्ति पर महानिदेशक किसी तर्कसंगत आधार पर आपत्ति करते हों।
6. कैटरर को डायनिंग हाल में बुफे में बेन मेरी (Bain Marie) में खाना सर्व करना होगा। डायनिंग हाल में बेन मेरी (Bain Marie) तथा समस्त क्राकरी आदि एवं प्रशिक्षण कक्ष में चाय के लिए क्राकरी कप/प्लेट आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7. कैटरर को डायनिंग हाल में विशिष्ट अतिथियों के लिए डायनिंग टेबल पर सर्विस करने की व्यवस्था प्रशिक्षित स्टाफ से करानी होगी, जिसके लिए अलग से कोई शुल्क/चार्जेज देय नही होगा।

8. श्रमिक कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए केटरर अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में कामगार प्रति पूर्ति अधिनियम मिनिमम वेज एक्ट, ई0एस0आई0 एक्ट, ई0पी0एफ0 एक्ट, भविष्य निधि अधिनियम, बोनस अधिनियम आदि में उल्लिखित प्राविधानों के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा तथा केटरर द्वारा रखे गये समस्त कर्मचारियों के चरित्र एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिये, जिसकी जिम्मेदारी केटरर की होगी। और इनके प्राविधानों का उल्लघंन होने पर संस्थान की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मीनू, मात्रा और गुणवत्ता में केटरिंग कान्ट्रैक्टर द्वारा कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

10. सभी आवश्यक सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली तथा प्रतिष्ठित ब्रान्ड की होनी चाहिये तथा उक्त सामग्रियॉ गुणवत्ता के मानक जैसे आई0एस0आई0, एगमार्क आदि पर खरे उतरते हो तथा उनको स्वच्छ कंटेनर आदि में भंडारित किया जाना होगा।

11. सब्जियां, फल, ब्रेड, दूध, अण्डे ताजे एवं गुणवत्ता वाले होने चाहिये तथा उनका भंडारण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के दृष्टिगत होना चाहिये।

12. कृत्रिम रंगों तथा प्लास्टिक/थर्माकोल के गिलास/प्लेट आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

13. एक बार प्रयुक्त हो चुके खाद्य तेल का पुनः प्रयोग बिल्कुल नही किया जायेगा। मिलावट या घटिया सामग्री का प्रयोग करने पर दण्ड का प्राविधान होगा तथा उक्त सामग्रियॉ जब्त की जायेंगी।

14. सभी बिना पकी खाद्य सामग्रियों को पूर्ण स्वच्छता के साथ प्रयोग करना होगा। ग्राइन्डर आदि को एक बार प्रयोग करने के पश्चात् स्वच्छ पानी से अवश्य साफ कर लेना होगा।

15. सभी सलाद और फल सामग्रियों को पहले स्वच्छता के साथ धोना होगा।

16. पीने के पानी की स्वच्छता तथा प्रयुक्त होने वाले गिलास/जग की सफाई में विशेष ध्यान रखा जायेगा।

17. बीमार प्रशिक्षार्थियों को ब्रेड, दूध, फल या अन्य आवश्यक खाद्य/पेय सामग्री उनके कक्ष में सर्व करना होगा।

18. बुफे आधार पर बिना किसी प्रतिबन्ध के पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री सर्व की जायेगी।

19. नाश्ता, लंच और डिनर के पश्चात् सौंफ/कैण्डी शुगर, टूथ पिक आदि सर्व किया जायेगा।

20. नाश्ता, लंच और डिनर के समय पर्याप्त मात्रा में नैपकिन/टिशू पेपर सर्व किया जायेगा।

21. छात्रावास मेस में निकलने वाले सूखे तथा गीले कूड़े को पृथक्–पृथक् एकत्रित कर उसके निस्तारण का दायित्व कैटरर का होगा।

22. केटरर, उक्त परिसर में उक्त कार्य के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करेंगे तथा वे उक्त परिसर में कोई परिवर्तन या रद्दोबदल नहीं करेंगे।

23. केटरर किचन, डाइनिंग हॉल तथा सम्बद्ध स्थानों, बर्तनों आदि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे।

24. केटरर एक–एक सुझाव पुस्तिका डाइनिंग हॉल तथ रिसेप्शन काउन्टर के पास रखेंगे ताकि प्रतिभागी या अन्य अधिकारी अपने सुझाव/शिकायत अंकित कर सकें। केटरर इन पुस्तिकाओं को प्रतिदिन प्रशासन को अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करेंगे।

25. केटरर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा। जिसका भुगतान सत्र प्रभारियों द्वारा यथाशीघ्र करा दिया जायेगा। अपरिहार्य करणवश पुराने बिलों के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में केटरर मेस सेवा देने में मना नही करेगा। केटरर खाद्य पदार्थों आदि को परोसने या प्रदान करने के लिए कोई सेवा प्रभार नहीं उगाहेंगे या वसूलेंगे।

26. केटरर फर्नीचर, फिटिंग्स, भण्डारगृह, बर्तन, छुरी, कांटों या अन्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा संस्थान इन्हें होने वाले किसी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेवार नहीं होगा। केटरर सुनिश्चित करेंगे कि केटरर के कर्मचारियों या अभिकर्ताओं की किसी चूक से उक्त परिसर या संस्थान के फर्नीचर फिक्सचर्स और फिटिंग्स जिन्हें प्रयोग करने की अनुमति केटरर को दी गयी है, को कोई नुकसान

नहीं पहुँचता है। केटरर द्वारा तर्कसंगत तथा सामान्य पूर्वापाय करने के बावजूद यदि दैवीय कारणों या केटरर के नियंत्रण से बाहर की शक्तियों द्वारा उपरोक्त वस्तुएं तर्कसंगत रूप से टूटती फूटती हैं या उन्हें नुकसान पहुँचता है तो उन्हें इसकी छूट दी जायेगी।

27. महानिदेशक या उनके प्रतिनिधि या मेस समिति के सदस्य किसी भी समय उक्त कैंटीन तथा उसमें विद्यमान फर्नीचर फिटिंग्स आदि का निरीक्षण कर सकते हैं तथा इस कार्य के लिए कैटरर पूर्ण सहयोग देंगे।

28. केटरर द्वारा संस्थान के पास रू0 2,50,000/–(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संविदा समाप्त होने पर कैटरर को संस्थान द्वारा यदि कोई क्षतिपूर्ति की राशि केटरर से लेनी है तो उसकी कटौती करके, शेष राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

29. अनुबन्ध का समय व्यतीत होने पर केटरर संस्थान के परिसर या सम्पदा को बिना हानि पहुंचाये अपने कर्मचारियों अभिकर्ताओं तथा अपनी सभी वस्तुओं सहित परिसर से चले जायेंगे।

30. पक्षकारों के मध्य यह करार किया जायेगा कि केटरर को उक्त परिसर का उपयोग करने तथा उसमें उक्त कार्य करने के लिए दी गयी अनुमति व्यक्तिगत प्रकार की है तथा केटरर द्वारा उसे किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अन्तरित नही किया जा सकता, जब तक महानिदेशक विशिष्ट रूप से अनुमति न दे। केटरर के उत्तराधिकारी किसी भी स्थिति में, उक्त कार्य करने के हकदार नहीं होंगे।

31. संस्थान तथा चयनित केटरर के मध्य उपुर्यक्त शर्तों के अनुसार एक अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा। इन अनुबन्ध पत्र पर आने वाला स्टैम्प शुल्क कैटरर द्वारावहन किया जायेगा।

32. स्वीकृत मीनू के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन सामग्री की मांग पर बाजार दर के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

अनुसूची–4अ

मीनू (अ) (नियमित रूप से प्रयुक्त)

1. **बेड टी** (कमरों में)
2. **नाश्ता** (डाइनिंग हाल में)

(I) मक्खन, जैम के साथ टोस्ट

(II) दलिया / कार्नफ्लेम्स दूध

(III) स्टफ पराठा / सांभर बड़ा / पूड़ी सब्जी / कटलेट

(IV) केला / पपीता / मौसम के अनुरूप उपलब्ध फल / मिक्स फ्रूट

(VI) चाय

3. **लंच– (डाइनिंग हाल में) –**

(I) सूप (टमाटर / मिक्स वेज / कार्न)

(II) तरी वाली पनीर की सब्जी–(मटर पनीर / कढ़ाई पनीर / पालक पनीर / पनीर बटर मसाला / शाही पनीर)

(III) सूखी सब्जी– (मिक्स वेज / आलू गोभी / परवल आलू / आलू शिमला मिर्च / भिण्डी / आलू गोभी)

(IV) दाल– (दाल अरहर / दाल मसूर / राजमा / छोला / कढ़ी)

(V) रोटी / पूड़ी

(VI) चावल / पुलाव

(VII) सलाद, पापड़, अचार

(VIII) रायता / दही

(IX) आइस क्रीम / रसगुल्ला / गुलाब जामुन

4. **डिनर (डाइनिंग हाल में) –**

(I) सूप (टमाटर / मिक्स वेज / कार्न)

(II) तरी वाली सब्जी (मटर पनीर / पनीर कोफ्ता / मटर मशरूम / लौकी कोफ्ता)

(III) सूखी सब्जी (आलू पालक / आलू सोयामेथी / आलू परवल / आलू गोभी / भिन्डी, तरोई आदि

(IV) दाल (दाल मखानी / छोला / दाल मिक्स / दाल अरहर)

(V) रोटी / पूरी

(VI) चावल / पुलाव

(VII) सलाद, पापड़, अचार

(VIII) खीर / सिवई / हलुआ

5. **सेशन टी (टी रूम में) –**

11:30 AM व 4:00 PM पर चाय, दो ब्रान्डेड बिस्कुट के साथ

अनुसूची–4ब

मीनू (ब) आवश्यकतानुसार (Occasionally)

1. हाई टी –

(I) पेस्ट्री

(II) काजू साल्टेड (5 नम्बर साबुत)

(III) काजू बर्फी (1 No.)

(IV) प्लेन चिप्स

(V) बिस्कुट (बेकरी)– (मीठा व नमकीन)

(VI) चाय/काफी

2. स्पेशल लन्च/डिनर

(I) सूप (मशरूम/मिक्स वेज/कार्न)

(II) तरी वाली पनीर की सब्जी–(मटर पनीर/कढ़ाई पनीर/पालक पनीर/पनीर बटर मसाला/शाही पनीर)

(III) कोफ्ता– मलाई/लौकी/वेज/कटहल कोफ्ता।

(IV) सूखी सब्जी– (मिक्स वेज/तवा सब्जी)

(V) दाल– (दाल अरहर/दाल मसूर/दाल मखानी/कढ़ी)

(VI) रोटी सादी व मिस्सी

(VII) पुलाव

(VIII) सलाद, पापड़, अचार

(IX) रायता (पाइन एपल/फ्रूट)

(X) आइस क्रीम तथा रसगुल्ला/गुलाब जामुन

3. लन्च पैकेट–

1.	पूड़ी– 6/पराठा–4	6.	अचार, सलाद
2.	पुलाव	7.	मिठाई (छेना/गुलाब जामुन)
3.	पनीर की तरी सब्जी	8.	केला – 1
4.	सूखी सब्जी (मौसमी)	9.	पानी बोतल (1/2 ली0)
5.	दही/रायता		

अनुसूची–5

वित्तीय प्रस्ताव

तालिका–1 मीनू–अ (नियमित रूप से प्रयुक्त) के आधार पर

क्र0सं0	विवरण	दरें सभी करों सहित/ प्रति व्यक्ति
1	बेड टी	
2	नाश्ता	
3	लंच	
4	डिनर	
5	इवनिंग टी	
6	सेशन टी व बिस्कुट (दो बार)	
	कुल योग	

तालिका– 2 मीनू–ब (आवश्यकतानुसार/Occasionally प्रयुक्त) के आधार पर

क्र0सं0	विवरण	दरें सभी करों सहित/ प्रति व्यक्ति
1	लन्च पैकेट	
2	स्पेशल लन्च	
3	हाई टी	

मै/हम, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या .... के संदर्भ में .... कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्य/शर्तों को पढ़कर भली-भॉति समझ लिया है तथा उक्त ई-निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर : ....
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नामः ....
पता ....
....
....
मुहर सहित ....